न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2014 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री छगनलाल पिता कन्हैयालाल शर्मा (ब्राह्मण) निवासी ब्राह्मणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री नाथूलाल पिता कन्हैयालाल शर्मा (ब्राह्मण) निवासी ब्राह्मणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री गेहरीलाल पिता कन्हैयालाल शर्मा (ब्राह्मण) निवासी ब्राह्मणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा
2. ग्राम पंचायत ब्राह्मणों का कलवाणा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ब्राह्मणों का कलवाणा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर उदयपुर दिनांक 11–4–2011 प्रकरण क्रमांक प./12/3(393)राज./आर./10/739

———

उपस्थित :–1– श्री एस.एल.बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट सं.–1

———/———

आदेश **दिनांक 19–02–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर उदयपुर के प्रकरण क्रमांक प./12/3 (393)राज./आर./10/739 दिनांक 11–4–2011 के पेश की है।

अपील के साथ दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश कर अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित आवंटित भूमि पर गत 40 वर्षो से उनका कब्जा है तथा उन्हें बिना सुने प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध

तथा उनके नियमन योग्य प्रकरण होने के बावजूद विधिवत भूमि का आरक्षण राजकीय प्रयोजनार्थ कर दिया गया है।

उक्त दफा–96 जाब्ता दीवानी के आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में ग्राम ब्राह्मणों का कलवाना की आराजी नंबर 1741 रकबा .64 हैक्टर किस्म मगरी में से .20 हैक्टर भूमि के राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की अनुशंसा व प्रस्ताव तथा अनेकानेक लोगों की उपस्थिति में सरपंच के साथ बने पर्चा मौका पटवारी की जांच रिपोर्ट व भूमि चरागाह की होने के आधार पर तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि का आरक्षण आदेश क्रमांक 739 दिनांक 11–4–2011 को जारी किया गया है।

उक्त समस्त पत्रावली में कहीं भी आवेदक अपीलान्ट का 40 वर्षो का कब्जा होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपील स्तर पर भी अपीलान्ट द्वारा 40 वर्षो का कब्जा या कब्जा होने बाबत् कोई साक्ष्य यथा–नोटिस/फोटो या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत की है। तद्नुसार अपीलान्ट का कब्जा होने की ही साक्ष्य नहीं है तथा 40 वर्षो का कब्जा होने बाबत् तो कोई साक्ष्य का अंश भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को चरागाह भूमि के ाजकीय प्रयोजनार्थ अ ारक्षण में किसी प्रकार से आवश्यक/हितबद्ध/व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट का दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं अपीलान्ट के आवश्यक हितबद्ध व व्यथित पक्षकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11–4–2011 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर